न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 124/2015 (2015/00247) दायर तारीख 14.09.2015

अनवान

1. अम्बालाल आत्मज नारू जाट
2. शिवलाल आत्मज नारू जाट

सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––वादीगण

बनाम

1. धन्ना आत्मज गणेश जाट
2. माधु आत्मज गणेश जाट
3. कुका आत्मज परसा गाडरी
4. केशु आत्मज परसा गाडरी
5. मु0 हंजा पुत्री परसा गाडरी
6. मु0 गंगा पुत्री परसा गाडरी

सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

7. अशोक कुमार आत्मज मोहनलाल सुराणा निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–श्री रितेश सुराणा, अधिवक्ता वादीगण
श्री एम0एल0 बापना (प्रतिवादी सं0 1, 2)
श्री महेश दाधीच (प्रतिवादी सं0 7)
पेरोकार सरकार

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम ::

–: निर्णय :–

दिनांक :–28.09.2020

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 21.05.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार हल्का कांगणी तह0 सहाडा के बेरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत सात के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी नं0 2500 रकबा 0.48 हे0, 2501 रकबा 0.35 हे0, 2502 रकबा 0.28 हे0, 2604 रकबा 0.79 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 1.90 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 60 (जमाबंदी संवत् 2069 से 2072) पर स्थित भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाडा ने अपने पत्रांक [illegible] दिनांक 20.09.2016 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:42 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार हल्का कांगणी तह0 सहाडा के बेरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत सात के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी नं0 2500 रकबा 0.48 हे0, 2501 रकबा 0.35 हे0, 2502 रकबा 0.28 हे0, 2604 रकबा 0.79 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 1.90 हे0 भूमि

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व खाता संख्या 60 (जमाबंदी संवत् 2069 से 2072) पर स्थित का विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिस पर जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.02.2017 को आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने अपना 1/6 हिस्सा बताकर विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया जबकि वादवर्णित आराजियात में वादीगण के नितर नारू जी का 1/9 हिस्सा ही है प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता गणेश का 5/9 हिस्सा राजस्व जमाबंदी संवत् 2010 में दर्ज रेकार्ड का लेकिन दौराने एकीकरण गलत रूप से बीना किसी आदेश के वाद वर्णित आराजियात में वादीगण के पिता का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता गणेश का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है। जो आगे की जमावंदियों में गलत हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने अलग से वादपत्र प्रस्तुत कर दिया है इसलिये जबतक वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सही हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो जाता तबतक मौजूदा वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित फरमाया जावें।

जिस पर जवाव वादीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.01.2020 को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में जंहा तक प्रतिवादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने का तथ्य अंकित है बावत् आपत्ति नहीं है शेष चरण गलत होने से स्वीकार नहीं है। वादवर्णित आराजियात में वादीगण का सही रूप से हिस्सा दर्ज है तथा हिस्सा सही रूप से होने से ही प्रतिवादी ने वादी द्वारा मांगे गये विभाजन में अपनी सहमति दिनांक 21.05.2016 को दी है। जिसके आधार पर ही प्रारम्भिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्तावत मंगवाया गया है असैा प्रतिवादी द्वारा एकबार तथ्य स्वीकृत कर लिये जाने से यह अव उससे मुकर नही सकता है और उस पर विबन्ध का सिद्धान्त लागु होता है। तथ प्रतिवादी ने इसमें सही तथ्य छीपाकर गलत तथ्य अंकित कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि वास्तविक स्थिति अनुसार वादीगण का वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा कांगणी के एकीकरण से पूर्व ही जमावंदी सवंत् 2010 – 2013 के अनुसार ही है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा प्रकरण की कार्यवाही हो आगे बढ़ाते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री पारित फरमायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रा0 पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या एक के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह निवेदन किया प्रतिवादीगण नें हिस्सा दुरूस्ती हेतु 88 का दावा विचाराधीन है तब तक प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित फरमाया जावें।

वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब को दौहराया तथा बताया कि वास्तविक स्थिति अनुसार वादीगण का वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा कांगणी के एकीकरण से पूर्व ही जमावंदी सवंत् 2010 – 2013 के अनुसार ही है। जिसमें एकीकरण में सभी पूर्वजों ने सहमती दी है जिसके बाद ये दावा पेश किया है ता उक्त 53 का दावा यह पूर्व से ही लम्बित है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या एक का आपत्ति प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद उभयपक्ष बहस के आपत्ति प्रार्थना पत्र [illegible] जवाब का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अ[illegible] वर्तमान जमावंदी में दर्ज हिस्सा कांग[illegible] 2010 – 2013 के अनुसार ही है। जिसमें [illegible] सहमती दे रखी है अतः प्रतिवादी संख्या 1 का आपत्ति प्रार्थना पत्र इसी स्तर [illegible] खारिज किया जाता है। अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

2.

(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)
1	2	3	4	5
1	अम्बालाल शिवलाल पिता नारू जाट सा0 देह	गाडरीखेड़ा (खाता संख्या 60)	2500/2	0.30
		योग	1	0.30
2	धन्ना माधू पिता गणेश जाट 2/5 हि0व0 कुका केशू पिता परसा 6/25 हंजा गंगा पिता परसा 1/25 गाडरी सा0 देह अशोक कुमार पिता मोहनलाल 8/25 सुराणा सा0 सहाड़ा खातेदार	गाडरीखेड़ा (खाता संख्या 60)	2500/1 2501 2502 2604	0.18 0.35 0.28 0.79
		योग	4	1.60

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा 3.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादपत्र संख्या 124/2015 (2015/00247) दायर तारीख 14.09.2015

अनवान

1. अम्बालाल आत्मज नारू जाट
2. शिवलाल आत्मज नारू जाट

सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—वादीगण

बनाम

1. धन्ना आत्मज गणेश जाट
2. माधु आत्मज गणेश जाट
3. कुका आत्मज परसा गाडरी
4. केशु आत्मज परसा गाडरी
5. मु0 हंजा पुत्री परसा गाडरी
6. मु0 गंगा पुत्री परसा गाडरी

सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

7. अशोक कुमार आत्मज मोहनलाल सुराणा निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

——प्रतिवादीगण

उपस्थित :–श्री रितेश सुराणा, अधिवक्ता वादीगण
श्री एम0एल0 बापना (प्रतिवादी सं0 1, 2)
श्री महेश दाधीच (प्रतिवादी सं0 7)
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 28.09..2020
डिक्री दिनांक : 28.09..2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्ता वादीगण श्री रितेश सुराणा, अधिवक्ता अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री एम0एल0 बापना, श्री महेश दाधीच व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)
1	2	3	4	5
1	अम्बालाल शिवलाल पिता नारू जाट सा0 देह	गाडरीखेड़ा (खाता संख्या 60)	2500/2	0.30
		योग	1	0.30
2	धन्ना माधू पिता गणेश जाट 2/5 हि0ब0 कुका केशू पिता परसा 6/25 [illegible] परसा 1/25 गाडरी सा0 [illegible] पिता मोहनलाल 8/25 सु[illegible] खातेदार	[illegible] (खाता [illegible])	2500/1 2501 2502 2604	0.18 0.35 0.28 0.79
		योग	4	1.60

1.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादपत्र संख्या 124/2015 (2015/00247)
अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

नीज ....Nil.................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

वशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.09..2020 को जारी किया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
वावत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner